चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 02.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनांक 02.01.2025 को थाना भरतकूप में रेलवे स्टेशन भरतकूप से मेमो प्राप्त हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ शरीर बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के पुल के नीचे रेलवे लाइन पर पोल नं0 1370/16 व 1370/17 के बीच पड़ा है। इस सूचना पर थाना भरतकूप पुलिस मय फोर्स के मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
उम्रः- करीब 30 वर्ष लग रही है।
पहनावा:- हल्का काला व काला कलर 02 इनर, लाल रंग अण्डरवीयर GLYDO लिखा हुआ, हल्का काला कलर पैजामी, दोनों पैरों में मोजा, सफेद फुल शर्ट, दाए हाथ में कलावा पीला रंग
रंगः- गेहूआ
चेहराः-सामान्य,लम्बे बाल
शव की शिनाख्त/पहचान होने पर निम्नलिखित नम्बरों पर सम्पर्क करेः-
1.क्षेत्राधिकारी नगर - 9454401356/9305101116
2.थानाध्यक्ष भरतकूप - 9454403215/9305101099

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों को 25 क्वार्टर व 05 लीटर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया ।
(i). उ0नि0 श्री कन्हैया बख्श सिंह थाना राजापुर मय हमराह आरक्षी चन्दन व आरक्षी शाकिर अली द्वारा अभियुक्त पिन्टू निषाद पुत्र बाबूलाल निवासी बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
(ii). उ0नि0 श्री कुँवर प्रखर सिंह थाना मानिकपुर मय हमराह आरक्षी अजीजउद्दीन व आरक्षी धीरेन्द्र द्वारा अभियुक्त शंकरदयाल पुत्र मोहन निवासी ग्राम कोट कदैला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 05 लीटर अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रविकान्त राय मय हमराह आरक्षी अंकित शुक्ला, आरक्षी अश्वनी मौर्या, आरक्षी शिवम मिश्रा द्वारा अभियुक्त मुन्ना उर्फ पहलवान पुत्र स्व0 सुखलाल पटेल निवासी गड्डू का पुरवा मजरा बसिला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री जयकरन सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री श्याम प्रताप पटेल के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रामप्रीत सिंह एवं उनकी टीम ने चोरी की घटना का सफल अनावरण कर 01 चोर को, चोरी की 01 मोटरसाइकिल , 01 अदद मोबाइल
01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि उ0नि0 श्री रामप्रीत सिंह मय फोर्स आगामी महाकुंभ के दृष्टिगत संदिग्ध वाहन/संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग में मामूर थे कि जरिये मुखविर सूचना मिली की एक शातिर किस्म का व्यक्ति मोटर साइकिल से आ रहा है। जिसे अरवारा मोड़ थाना रैपुरा पर रोककर व्यक्ति से नाम पता पूंछते हुए तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम सुरेश चन्द्र उर्फ सोनू पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह निवासी रामाकोल थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट बताया तथा जामा तलाशी से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद वीवो कम्पनी का एड्रायड मोबाइल बरामद हुआ। व्यक्ति से वाहन सम्बन्धित कागजात मांग गये तो नही दिखा सका। मोटरसाइकिल का निरीक्षण किया गया तो पीछे नम्बर प्लेट नही है तथा आगे नम्बर प्लेट टूटी हुई है। मोटरसाइकिल का चेचिस नम्बर ई-चालान एप्प में डालकर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम फैजान पुत्र दीन मोहम्मद बताया। उक्त वाहन के बारे में पता किया गया तो ज्ञात हुआ कि दिनाँक 23.11.2024 कालूपुर कर्वी से चोरी हो गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी पर मु0अ0सं0 817/2024 धारा 303(2) बीएनएस अज्ञात पंजीकृत है। तथा पकड़े गये अभियुक्त से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं अपने साथी राजा उर्फ जागेश्वर, शिवम पटेल उर्फ शुभम पटेल उर्फ शिब्बू के साथ मिलकर कालूपुर में चोरी की थी। जो पूर्व में पकड़े गये। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी तथा अवैध तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध में 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम/पताः-

1.सुरेश चन्द्र उर्फ सोनू पुत्र हरिश्चन्द्र सिंह निवासी रामाकोल थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

बरामदगीः-

1. 01 अदद मोटरसाइकिल स्प्लेण्डर प्लस रजिस्ट्रेशन नम्बर UP 27 BE 1847
2. 01 अदद वीवो कम्पनी का एन्ड्रायड मोबाइल
3. 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1 .उ0नि0 श्री रामप्रीत सिंह थाना रैपुरा

2.उ0नि0 श्री जुबैर खाँ

3.आरक्षी अंकित शुक्ला

4.आरक्षी चालक पवन यादव

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत एनसीआर नंबर 19/2016 धारा 323,504,506,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त बेलंदा पुत्र बौरा निवासी हेला थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि तथा 4000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं

पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 जनपद चित्रकूट श्री सचिन दीक्षित द्वारा कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 756/2014 धारा 279,337,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त त्रिभुवन त्रिपाठी पुत्र मतगंजन नाथ त्रिपाठी निवासी टीटीहरा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 3000/- रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।